

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 46/2021 राजस्व अपील

- कैलाश पुत्र छगा जाति बैरवा निवासी ग्राम गुमानपुरा तहसील सिकराय हाल तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

अपीलान्त

बनाम

- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा।

रेस्पोंडेन्ट

(अपील विरुद्ध निर्णय उपतहसीलदार बहरावण्डा दिनांक 14.08.2018 मुकदमा उनवानी सरकार बनाम कैलाश मुकदमा संख्या 27/2018 अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट)

उपस्थिति : श्री जितेन्द्र गंगावत, अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित।

: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:- निर्णय :-

दिनांक: 24.05.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्त के विरुद्ध पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि ग्राम गुमानपुरा तहसील बहरावण्डा में स्थित खसरा नम्बर 827 रकबा 0.45 है. चरागाह भूमि पर सम्बत 2075 में आवास व बाडा बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर अपीलान्त के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा निर्णय कर अपीलान्त को 90 दिवस के सिविल कारावास व पेनल्टी की सजा से दण्डित करने के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्त द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 14.08.2018 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोंडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानूनी नियम व पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सुनवाई व सबूत का मौका ही नहीं दिया जबकि कानूनन पीडित पक्ष को पूर्ण सुनवाई का मौका देकर ही निर्णय पारित किया जाना चाहिये। पत्रावली पर अपीलान्त के पश्चातवर्ती होने का कोई सबूत नहीं होते हुये भी अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये सजा करने में कानूनी गलती की है। अपीलान्त को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर भी नहीं दिया गया है। ऐसी सूरत में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अवैधानिक होने के कारण निरस्तनीय है।

अपीलान्त ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूमि खसरा नम्बर 827 रकबा 0.45 है. पर से अपना अतिक्रमण पूर्ण रूप से हटा लिया है। उक्त भूमि आज रोज पूर्णतया खाली है एवं अपीलान्त शपथकर्ता उक्त भूमि पर भविष्य में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण व अतिचार नहीं करेगा। अपीलान्त शपथकर्ता द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलान्त स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।



जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्त ने चरागाह भूमि खसरा नम्बर 827 रकबा 0.45 है. भूमि पर आवास व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्त अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.08.2018 के द्वारा अपीलान्त को 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा व पेनल्टी से दण्डित किया गया है। अपीलान्त उक्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपील अपीलान्त खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्त द्वारा ग्राम गुमानपुरा तहसील बहरावण्डा में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 827 रकबा 0.45 है. पर से अपना अतिक्रमण पूर्ण रूप से हटा लिया जाना एवं आज रोज उक्त भूमि पूर्णतया खाली होना तथा भविष्य में उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण व अतिचार नहीं होने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि ग्राम गुमानपुरा तहसील बहरावण्डा में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 827 रकबा 0.45 है. पर अतिक्रमण नहीं होने बाबत् अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा सत्यापित किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.08.2018 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 14.08.2018 यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति के साथ अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट लेख भण्डार की जावे।

(सुरेश कुमार)

अति० जिला कलक्टर ,दौसा



निर्णय आज दिनांक 24.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेश कुमार)

अति० जिला कलक्टर ,दौसा